रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2883] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2017/आश्विन 20, 1939
No. 2883] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2017/ASVINA 20, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3298(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''विभाग'' कहा गया है), यथास्थिति श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार या दिव्यांगजनों के नियोक्ताओं के अधीन प्रचालित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् एक साथ कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से दिव्यांगजनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) के पुनर्वास के लिए 'निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन स्कीम' (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम शासित कर रहा है।

और, पूर्वोक्त स्कीम के अधीन दिव्यांगजनों को कर्मचारी के भविश्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की दिशा में नियोक्ता के अंशदान, उपदान राशि का एक तिहाई नकद फायदे और अध्येतावृत्ति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से फायदा कहा गया है) विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार या तो कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से या विभाग द्वारा सीधे फायदाग्राहियों को संदत्त किए जाते हैं।

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन कराए।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को 31 अक्तूबर, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन कराना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और

ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग स्वयं या अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करने की अपेक्षा करे और उस दशा में जहाँ आस–पास कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है वहाँ संबंधित विभाग स्वयं या अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ब्लॉक या तालुका या तहसील में यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करा सकेगाः

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार समनुदेशित किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदा दिए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) निम्नलिखित पैरा 2 के उप पैरा (ii) में विनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र; और

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एकः

(i) मतदाता पहचानपत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पेन) कार्ड, या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या,

(v) कर्मचारी का सरकारी पहचानपत्र; या

(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फोटो पहचानपत्र; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा भाासकीय पत्र पर जारी सदस्य के फोटो सहित पहचानपत्र या

(x) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिश्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा नामानिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध–फायदे–प्रदान करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैंः–

(1) इस स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यष्टिक सूचना दी जाएगी तथा यदि उन्होंने पहले से अपना नामांकन नहीं कराया हे तो 31 अक्तूबर, 2017 तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि आस–पास के क्षेत्रों जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन न करा पाए हों तो विभाग स्वयं या अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएँ प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में यथाविनिर्दिश्ट अन्य विवरण देकर आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध विभाग या उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिहित अधिकारियों के पास या इस प्रयोजन के लिए दिए गए वेबपोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कराएगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को यह राजपत्र में प्रकाशित होगी।

[फा. सं. 17–22/2016–छात्रवृत्ति]

डॉ. प्रबोध सेठ संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2017

S.O. 3298(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) (hereinafter referred to as the Department) under the Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India is administering a Central Sector Scheme titled '**Incentive Scheme for providing employment to Persons with Disabilities in the Private Sector'** (hereinafter referred to as the Scheme) for rehabilitation of Persons with Disabilities (PwDs) (hereinafter referred to as the beneficiaries) through Employees' Provident Fund Organization; and Employees' State Insurance Corporation operating under Ministry of Labour and Employment, Government of India or employers of PwDs, as the case may be (hereinafter together referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, under the aforesaid Scheme, cash benefits in the form of employer's contribution towards Employee's Provident Fund and Employee's State Insurance, one-third of the gratuity amount, and stipend (hereinafter collectively referred to as the benefits) are paid to the beneficiaries either through the Implementing Agencies or directly by the Department as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual entitled to receive the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st October, 2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department itself or through its Implementing Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department itself or through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) Disability certificate issued by the competent authority; and

(c) Any one of the following documents:—

(i) Voter identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee ID Card; or (vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or (vii) Photo identity card issued by competent authority for handicapped persons; or

(viii) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on their official letter head; or (x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agencies, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st October, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department itself or through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the designated officials of the Department or its Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 17-22/2016-Sch.]

Dr. PRABODH SETH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.13 22:58:01 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.